**कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,**
**सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,**
**वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001**

**सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0 नि0/** **दिनांकः–**

**सेवा में,**

**कार्यपालक पदाधिकारी**
**नगर परिषद, औरंगाबाद**

महाशय,

नगर परिषद, औरंगाबाद के वर्ष 2012–13 से 13–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 527/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

- ह0 -

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

**सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0**/14478/2209 **दिनांक–** 06.02.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, औरंगाबाद

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

O. S. D. (K)
पत्र
12 FEB 2015
सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
13 FEB 2015
संख्या 1453
बिहार, पटना

2168

# नगर परिषद् औरंगाबाद
## अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–527/14–15
## अवधि 2012–13 से 2013–14

**प्रस्तावना**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निरीक्षित कार्यालय का नाम | नगर परिषद, औरंगाबाद |
| 2. | लेखा वर्ष | 2012–13 से 2013–14 |
| 3. | अंकेक्षण की अवधि | 19.05.14 से 31.05.14 |
| 4. | लेखा परीक्षा दल के सदस्य | 1. श्री राजेश कुमार–III, स0ले0प0अ0<br>2. श्री आलोक कुमार–III, ले0प0<br>3. श्री शिवराम, ले0प0 |
| 5. | कार्यालय प्रधान का नाम | श्री शत्रुन्जय कुमार मिश्रा, कार्यपालक पदाधिकारी |
| 6. | क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श हुआ | हाँ। |

**कंडिका 7. आय–व्यय (आकस्मिकता एवं अन्य मद)**

| क्र0सं0 | मद | 2012–13 | 2013–14 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | 5803114 | 117475 |
| 2 | आय | | |
| (i) | अनुदान | 6180541 | 4271890 |
| (ii) | ब्याज | - | 42962 |
| (iii) | अन्य | - | - |
| 3 (i+ii+iii) | | 6180541 | 4314852 |
| 4 (1+3) | कुल | 11983655 | 4432327 |
| 5 | व्यय | | |
| (i) | योजना | 11866180 | 3556771 |
| (ii) | अन्य | - | - |

1167

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 (i+ii) | | 11866180 | 3556771 |
| 7. (4-6) | अंतशेष | 117475 | 875556 (13.3.14) |

बैंक पासबुक / A/c No.= मध्य बिहार ग्रा0 बैंक 70860100046471

31.3.2014 – 1072667.35

अंतर – 197111.35

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि खाता सं0–4647 MBGB के रोकड़ बही और बैंक पासबुक के अन्तर का समाधान कराया जा रहा है । अतः समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

**कंडिका 8. आय–व्यय (नाला निर्माण योजना) 2012–13**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | 1186122 |
| 2 | आय | |
| (i) | अनुदान | - |
| (ii) | ब्याज | _ |
| (iii) | अन्य | - |
| 3 (i+ii+iii) | | -- |
| 4 (1+3) | | 1186122 |
| 5 | व्यय | |
| (i) | योजना मद | 717422 |
| (ii) | अन्य | - |
| 6 (i+ii) | | 717422 |
| 7 (4-6) | | 468700 (8.3.13) |

Bank Pass Book : MBGB./4647 as per Bank pay book

31.3.14 = 1072667.35

**आय–व्यय (12th) 2012–13**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | 974864 |
| 2 | आय | |
| (i) | अनुदान | - |
| (ii) | ब्याज | _ |
| (iii) | अन्य | - |
| 3 (i+ii+iii) | | -- |
| 4 (1+3) | | 974864 |
| 5 | व्यय | |
| (i) | योजना मद | 861083 |
| (ii) | अन्य | - |
| 6 (i+ii) | | 861083 |
| 7 (4-6) | | 113781 (25.3.13) |

Bank Pass Book : A/c No.

The Aurangabad District Central Co-operative Bank Ltd. / 4529

CB = (31.3.13) = 2162424.23

**लेखा परीक्षा आपत्ति :**

1. नाला निर्माण योजना एवं अन्य आकस्मिक मद की राशि एक ही पासबुक MBGS/4647 में संधारित कर रखी गयी थी । जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि नाला निर्माण योजना में पासबुक में कितनी राशि 31.3.14 को अंतशेष है ।
2. 12th रोकड़ बही के अंतशेष एवं पासबुक के अंतशेष का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर नहीं किया गया था।

   आपत्ति के जवाब में बताया गया कि रोकड़ बही एवं पासबुक के अंतशेष का समाधान कराया जा रहा है। समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

1165

कंडिका 9. आय–व्यय (SGSRY) 2012–13

| | | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | 1184480 | 6480868 |
| 2 | आय | | |
| (i) | अनुदान | 7500000 | - |
| (ii) | ब्याज | 14328 | 381852 |
| (iii) | अन्य | - | 1381214 |
| 3 (i+ii+iii) | कुल | 7514328 | 1763066 |
| 4 (1+3) | | 8698808 | 8243934 |
| 5 | व्यय | | |
| (i) | योजना मद | 2217940 | 3288899 |
| (ii) | अन्य | - | 1376010 |
| 6 (i+ii) | कुल | 2217940 | 4664909 |
| 7 (4-6) | अंतशेष | 6480868 | 3579025 (31.3.14) |

रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष = 3579025

पासबुक के अनुसार अंतशेष :

1. मध्य बिहार ग्रामीण बैंक = 1072667.35 (31.3.14)
   70860100046471
2. PNB A/c No. = 976607403 (31.3.14)
   0502000100184186

**लेखा परीक्षा आपत्ति :**

1. SGSRY के लिए दो पासबुक (मध्य बिहार ग्रामीण बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक) में राशि संधारित किया गया था । उन पासबुक में अन्य मद की राशि भी संधारित है । जिससे यह पता नहीं चल

सका कि 31.3.14 को पासबुक में SGSRY के कितनी राशि शेष है । समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

2. SGSRY की राशि का विचलन चेक नं0–353397/31.7.13 (1377206/– ) एवं चेक नं0–353399/3.8.13 (58804) द्वारा क्रमशः नागरिक सुविधा/नलकूप मद में किया गया था । बाद में इनकी प्रतिपूर्ति 19.10.13 को किया गया ।
आपत्ति के जवाब में बताया गया कि जनहित में विचलन कर इसकी प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

**कंडिका 10. आय–व्यय (13th)**

| | | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | 3690884 | 4354694 |
| 2 | आय | | |
| (i) | अनुदान | 7681000 | 10042358 |
| (ii) | ब्याज | 374916 | - |
| (iii) | अन्य | 4075 | - |
| 3 (i+ii+iii) | कुल | 8059991 | 10042358 |
| 4 (1+3) | | 11750875 | 14397052 |
| 5 | व्यय | | |
| (i) | अनुदान मद | 7395739 | 9381300 |
| (ii) | अन्य | 442 | - |
| 6 (i+ii) | कुल | 7396181 | 9381300 |
| 7 (4-6) | अंतशेष | 4354694 | 5015752 (31-3-14) |

<u>बैंक पासबुक</u> <u>A/c No.</u>

कैनरा बैंक 3135101001852

अंतशेष 79549 (31.1.14)

13वीं वित्त रोकड़ बही के दो पासबुक संधारित थे।

1163

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि XIII FC के लिए पूर्व में एक खाता संधारित थी। बाद में सरकारी निदेश पर दूसरा खाता खोला गया । समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत करें।

**कंडिका 11. आय–व्यय (राज्य योजना निधि) 2013–14**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | - |
| 2 | आय | |
| (i) | अनुदान | - |
| (ii) | ब्याज | _ |
| (iii) | अन्य | 6121539 |
| 3 (i+ii+iii) | | 6121539 |
| 4 (1+3) | | 6121539 |
| 5 | व्यय | |
| (i) | अनुदान मद | . |
| (ii) | अन्य | 4409696 |
| 6 (i+ii) | | 4409696 |
| 7 (4-6) | | 1711843 (26.3.14) |

रोकड़ बही अंतशेष (26-3-14) 1711843

पासबुक अंतशेष (28-3-14) 3421532

अन्तर 1709789

बैंक पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्याः– 0502000100364241

अन्य मद के अंतगत राज्य योजना निधि में राशि 6121539 स्थानांतरित की गई थी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि विभागीय बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार राज्य निधि की राशि पी0एन0बी0 एकाउन्ट में हस्तांतरित की गई थी। अंतर राशि का समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण को प्रस्तुत करें।

162

**कंडिका 12. आय–व्यय (नागरिक सुविधा)**

| | | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | 8412383 | 7557819 |
| 2 | आय | | |
| (i) | अनुदान | - | - |
| (ii) | ब्याज | 168014 | 154882 |
| (iii) | अन्य | - | - |
| 3 (i+ii+iii) | कुल | 168014 | 154882 |
| 4 (1+3) | | 8580397 | 7712701 |
| 5 | व्यय | | |
| (i) | अनुदान मद | 1022578 | 433599 |
| (ii) | अन्य | - | 6684508 |
| 6 (i+ii) | कुल | 1022578 | 7118107 |
| 7 (4-6) | अंतशेष | 7557819 | 594594 |

अंतशेष रोकड़ बही 31.3.14 59454

अंतशेष बैंक पासबुक 31.3.14 633546

अंतर 38952

CBI Aurangabad A/c No. 2004506575

**लेखापरीक्षा आपत्ति :–**

1. वर्ष 2013–14 के अंतर्गत सूद की राशि से भुगतान किया गया था।

1161

| क्रम सं0 | दिनांक | राशि | मद |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/5/13 | 332265 | 15 KVA Gen Set क्रय हेतु |
| 2 | 30/5/13 | 126700 | A.C. और कूलर का भुगतान |
| 3 | 26/6/13 | 15676 | Gen Set में खर्च बढाने हेतु |
| 4 | 23/8/13 | 88300 | A.C. का भुगतान |
| | Total | 562941 | |

2. चेक सं0–537388 राशि रू0 6121539 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 2004506575 से पी0एन0बी0 खाता सं0 000100364291 में में हस्तांतरित किया गया ।

   आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्यहित में सूद की राशि से व्यय किया गया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SJSRY घटक के तहत शहरी नागरिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया में उदासीन रवैया अपनाये जाने के कारण विभागीय बैठक में प्राप्त निदेशालोक में राज्य निधि की राशि पी0एन0बी0 खाता में हस्तांतरित करा दिया गया है । ₹38952.00 अंतर का समाधान विवंरणी बनाकर अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत करें।

## दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

160

भाग– II (क)

शून्य

भाग– II (ख)

**कंडिका 1. श्रम उपकर की राशि जमा नहीं ₹ 4.09 लाख**

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितंबर 1996 की अधिसूचना शीर्षक भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0– 865 दिनांक 18/8/2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया, इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निप्रेषित करने का प्रावधान है ।

परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध योजना विवरणी के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2013–14 के दौरान 88 योजनाओं पर नगर परिषद द्वारा कुल ₹ 45320228 व्यय किया गया परंतु कटौती की गई राशि को श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा नहीं किया गया था । विवरण निम्न है :–

| क्र0सं0 | योजना मद | वर्ष | योजनाओं की सं0 | कुल भुगतान राशि (₹) | श्रम उपकर राशि 1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 SFC | 2012-13 to 2013-14 | 33 | 11347587 | 113475.87 |
| 2 | MF | 2012-13 to 2013-14 | 98 | 22953091 | 229530.91 |
| 3 | BRGF | 2012-13 to 2013-14 | 25 | 6634361 | 66343.61 |
| | | | | **40935039** | **409350.39** |

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि वर्ष 2010–11 से 2013–14 (510768+123225) तक राशि रू0 633993 चेक सं0–177606 दिनांक 26.3.2014 को निर्गत किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आपत्ति में उठाई

1159

गई राशि के बारे में जवाब नहीं दिया गया अतः राशि ₹ 4.09 लाख श्रम उपकर का की राशि कल्याण बोर्ड को प्रेषित करने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

**कंडिका 2(i). <u>विविध रसीद एवं होल्डिंग रसीद की राशि जमा ₹28898</u>**

विविध रसीद (वर्ष 2012–13 से 2013–14) एवं होल्डिंग रसीद(वर्ष 2012–13 से 2013–14) के लेखा परीक्षा के दौरान कम व नहीं जमा ₹9619.00 थी। विवरण इस प्रकार है:–

| क0 सं0 | विविध रसीद सं0 एवं तिथि | होल्डिंग रसीद सं0 एवं तिथि | वसूली गई राशि (₹) | जमा की राशि (₹) | कम व नहीं जमा | दैनिक वसूली पंजी की पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11651 dt. 7.3.13 to 11695 dt.25.3.13 | - | 52283 | 52033 | 250 | 32 |
| 2 | 13813 dt. 13.2.14 to 13824 dt.14.2.14 | - | 80606 | 74308 | 6298 | 62 |
| 3 | 10348 dt. 25.9.12 to 10400dt.27.10.12 | - | 1965 | Nil | 1965 | 09 |
| 4 | - | 7291 दिनांक 31.3.14 से 7300 दि0 15.4.14 | - | - | 240.00 | 64 |
| 5 | - | 4500/ 17.2.13 | 836 | 220 | 616 | 27 |
| 6 | 12292/ 16.5.13 | - | 500 | 250 | 250 | 39 |
| 7 | - | 4301 से 4331 | 28898 | 28898 | - | - |
| | | कुल | 165088 | 155709 | 9619 | |

आपत्ति के जवाब मे बताया गया कि राशि नगर परिषद् कोष में जमा कर दी गयी है। प्रारूप लेखा परीक्षा की संवीक्षा के दौरान इसके साक्ष्य के रूप में ₹7654.00 के विविध रसीद की छायाप्रति पायी गयी एवं ₹1965.00 के बारे में बताया गया कि दिनांक 28.05.14 को सी0सी0बी0 में जमा किय गया, परंतु कुल राशि ₹9619.

00 के बैंक/नगर निधि में जमा का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः ₹9619.00 को बैंक में जमाकर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

कन्हैया भगत, कर संग्राहक द्वारा संग्रहित राशि ₹28898.00 की राशि चालान सं0–66 दिनांक 23.05.14 के माध्यम से लेखापरीक्षा अवधि करा दी गयी।

**कंडिका 2(ii). राशि का लेखापाल रोकड़ बही में नहीं व कम पाया जाना**

नगर परिषद, औरंगाबाद के वर्ष 2012–13 से 2013–14 के लेखाओं के लेखापरीक्षा के नमूना जॉच में पाया गया कि विभिन्न राशि नाजिर रोकड़ बही एवं लेखापाल रोकड़ बही के मिलान में लेखापाल रोकड़ बही में नहीं पायी गई / कम पायी गई । विस्तृत विवरण निम्नांकित हैं :–

| क0 सं0 | नाजिर रोकड़ बही की पृष्ठ सं0 | राशि | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 16342 | नहीं पाया गया |
| 2 | 11 | 13576 | " |
| 3 | 24 | 32683 | " |
| 4 | 24 | 26086 | " |
| 5 | 13 | 8740 | कम पाया गया |
| 6 | 19 | 2526 | " |
| | कुल | 99953.00 | |

नगर परिषद्, औरंगाबाद द्वारा जवाब दिया गया कि क्र0–1 पर अंकित राशि ₹ 16342/– चेक द्वारा जमा था । क्र0–2 पर अंकित राशि चालान सं0 190/23.3.14 एवं 33/26.3.14 द्वारा जमा कराकर अवलोकन करा दिया गया । क्र0–3 पर अंकित राशि बिल नं0–2/14–15 तथा क्र0 4 पर अंकित राशि बिल नं0–4/14–15 के द्वारा जमाकर अवलोकन करा दिया गया ।क्र0–5 एवं 6 में लिपीकीय भूल सुधार कर अवलोकन करा दिया गया ।

ज्वाब का साक्ष्य नहीं पाये जाने के कारण राशि ₹99953.00 को लेखापाल रोकड़बही में जमाकर एवं बैंक में जमाकर अगले अंकेक्षण को संबंधित साक्ष्य दिखाए जाएँ।

1157

**कंडिका 3(i). दुकान किराया की वसूली नहीं होना ₹ 4.33 लाख**

नगर परिषद द्वारा स्वयं के स्रोतों/स्ववित्तपोषित योजनाओं द्वारा दुकान का निर्माण कराया गया था एवं उन्हें मासिक किराया पर दिया गया था। उपलब्ध कराए गए विवरणी के नमूना जॉच में पाया गया कि 10 मार्केट शाखा अंतर्गत 31.3.14 तक ₹ 433785 दुकान किराया बकाया था।

बकाया किराया के वसूली नहीं किए जाने के कारण एवं वसूली हेतु क्या प्रयास परिषद द्वारा किया गया था , इसके जवाब में बताया गया कि बकाया किराया वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है । चिन्हित दुकानदारों को नोटिस के माध्यम से कारण पृच्छा 96 निर्गत है, जिनमें से कुछ के जवाब मिले है। शेष में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। इस विषयक नियमानुसार कार्रवाई पूर्व से ही जारी है ।

जवाब के आलोक में संबंधित दुकानदारों से ₹ 433785.00 वसूलनीय है ।

**कंडिका 3(ii). शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं ₹ 17.94 लाख**

शहरी स्थानीय निकायों को होल्डिंग टैक्स के 50 प्रतिशत की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

नगर निकाय द्वारा वर्ष 2012—13 से 2013—14 के दौरान रू0 1794792 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में वसूली की गयीं । राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकायों को वसूल किए गए राजस्व में से 10 प्रतिशत वसूली प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाता में जमा करना था । परंतु इसे जमा नहीं किया गया । उक्त मदों में सरकारी खाते में जमा नहीं की गयी राशि का विवरण निम्न है :—

| **वर्ष 2012—13 से 2013—14** | **शिक्षा उपकर की राशि** | **स्वास्थ्य उपकर की राशि** |
|---|---|---|
| कुल राजस्व | 997107 | 997107 |
| घटाव वसूली प्रभार 10 प्रतिशत | 99711 | 99711 |
| सरकारी खाते में नहीं जमा राशि | 897396 | 897396 |

नगर परिषद द्वारा ₹ 1794792.00 को सरकारी खाते में जमा नहीं कर उसका उपयोग निकाय के अन्य व्यय पर किया गया ।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि — इसे जमा करा दिया जायेगा ।

अतः इसे जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

**कंडिका 4. संचार (मोबाईल) टावरों के ₹ 6.60 लाख बकाया**

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 8.10.12 को अधिसूचित किया गया है ।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(i) के अनुसार नगर परिषद में पंजीकरण शुल्क ₹ 40,000 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क ₹ 10000 प्रतिवर्ष टावर निर्धारित किया है।

नियम 6(1) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उप वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्ष की संख्या के आधार पर लिया जाएगा ।

नगर निकाय द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत 34 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे। उपर्युक्त नियमावली के अनुसार नगर निकाय में अधिष्ठापित मोबाईल टावरों के पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के आधार पर ₹ 660000 शुल्क बकाया था ।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कुल 13 बकायादारों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें ₹ 48000 की वसूली की गई । शेष प्रक्रियाधीन है।

अतः ₹ 660000.00 लाख संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है ।

**कंडिका 5. बंदोबस्ती में बकाया राशि की वसूली नहीं ₹ 30725**

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए सैरात की बंदोबस्ती संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि 2012–13 एवं 2013–14 में निम्न सैरात की बंदोबस्ती की गई और बंदोबस्तीधारकों से अभी तक राशि ₹ 30725/– बकाया था । विवरण निम्न है:–

| **क0 सं0** | **बंदोबस्ती की अवधि** | **सैरात का विवरण** | **बंदोबस्ती की राशि** | **जमा** | **बकाया राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9.12 से 31.3.13 | नेशनल हार्डवेयर एवं रायल होटल के सामने नाला के उत्तर सब्जल मंडल से दैनिक शुल्क | 61450 | 30725 | 30725 |

ज्ञापांक–641 दिनांक 20.3.12 के अनुसार सफलतम् डाक वक्ता डाक संपन्न होने के 24 घंटे के भीतर डाक बोली का 50 प्रतिशत राशि जमा कर अधोहस्ताक्षरित के साथ एकरारनामा करेंगे तभी उन्हें वसूली करने

1155

का अधिकार मिलेगा साथ ही शेष 50 प्रतिशत राशि डाक तिथि से एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा ।

**लेखापरीक्षा आपत्ति**

1. उपरोक्त बंदोबस्ती में सकल डाक बोली दिनांक 21.8.12 को की गई परंतु 15 माह बीत जाने के बावजूद बंदोवस्तीधारी के पास ₹ 30725 बकाया था ।
2. बंदोबस्ती के लिए एकरारनामा की प्रति संचिका में नहीं पाई गई। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि ज्ञापांक एवं बीड–सीट के अनुसार एकरारनामा कर बंदोबस्ती के लिए आदेश दिया जाना था।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि डाक के पश्चात उक्त सैरात को ही सड़क बन जाने के कारण हटा दिया गया था। फलतः शीघ्र राशि बन्दोबस्तदार द्वारा जमा नहीं किया गया है ।

(2) बन्दोबस्तदार द्वारा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा नहीं हो सका था ।

अतः राशि ₹ 30725 संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है।

**कंडिका 6. बंदोबस्ती में एकरारनामा नहीं किए जाने के कारण रू0 0.58 लाख राजस्व की हानि**

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए बंदोबस्ती संधारित नमूना जाँच में पाया गया कि संचिका के ज्ञापांक एवं बीड शीट के अनुसार सकल डाक वक्ता को निविदा राशि का 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर एकरारनामा कर वसूली कार्य किया जाना था परंतु सकल डाक वक्ता को बिना एकरारनामा कराए वसूली का आदेश दिया गया जिससे ₹ 58877 राजस्व की हानि हुई। विवरण निम्न है :–

| क0 सं0 | सैरात विवरण | निविदा राशि | 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क |
|---|---|---|---|
| 1 | राम बाँध एवं दानी बिगहा बस स्टैंड को छोड़कर शहर में आने वाले टैम्पू एवं अन्य वाहन (2012–13) | 901000 | 27030 |
| 2 | नाला के उत्तर सब्जी मंडी से दैनिक शुल्क (1. 9.12 से 31.3.13) | 61450 | 1844 |
| 3 | राम बाँध एवं दानी बिगहा बस स्टैंड को छोड़कर शहर में आने वाले टैम्पू एवं अन्य वाहन (2013–14) | 1000100 | 30003 |
| | | | 58877 |

154

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि वसूली की कारवाई की जा रही है । अतः राशि ₹58877.00 संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है ।

**कंडिका 7. दैनिक मजदूरी/अतिरिक्त मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय ₹5.96 लाख**

बिहार सरकार के पत्र सं0 4 न से 1–103/87–1231 न0वि0वि0 दिनांक 6.5.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगायी गयी है । परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही के अनुसार औरंगाबाद नगर परिषद में वर्ष 2012–13 से 2013–14 के दौरान ₹ 596178.00 लाख दैनिक मजदूरी/अतिरिक्त व्यय (मजदूरी) पर व्यय किया गया है जो कि सरकार के निर्देशों के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था ।

जबाव में बताया गया कि नगर परिषद में दो ट्रैक्टर टैंकर/बॉवकैट/सक्सन मशीन/जे0सी0बी0/फॉगिंग मशीन है जिसे चलाने हेतु बल उपलब्ध नहीं है । अन्य कर्मचारियों की कमी है । इस कारण कार्यहित और जनहित में स्थानीय मजदूरों से कार्य कराया गया है । जिसके भुगतान के पूर्व मुख्य पार्षद का अनुमोदन प्राप्त है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकार से इस संदर्भ में घटनोत्तर स्वीकृति नहीं ली गई थी । अतः स्वीकृति लिए जाने तक राशि ₹ 596178.00 लाख आपत्ति के अधीन रखी जाती है ।

**<u>दैनिक या अतिरिक्त मजदूरी पर किया गया व्यय</u>**

| क0 सं0 | दिनांक | राशि ₹ | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.4.12 | 11850 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 2 | 12.5.12 | 12300 | दैनिक मजदूरी |
| 3 | 5.10.12 | 38086 | मजदूरी पर भुगतान |
| 4 | 18.10.12 | 19438 | अतिरिक्त मजदूरी (1.10.12 से 18.12.12) |
| 5 | 5.12.12 | 15270 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 6 | 5.12.12 | 36780 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 7 | 29.1.13 | 35928 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 8 | 6.2.13 | 33657 | अतिरिक्त मजदूरी |

1153

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 15.3.13 | 35185 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 10 | 7.6.13 | 39888 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 11 | 5.9.13 | 49002 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 12 | 6.11.13 | 50856 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 13 | 11.12.13 | 59634 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 14 | 11.1.14 | 55764 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 15 | 14.2.14 | 54276 | अतिरिक्त मजदूरी |
| 16 | 12.3.14 | 48264 | अतिरिक्त मजदूरी |
| | | **596178** | |

## <u>TAN</u>

**कंडिका 1. <u>होल्डिंग कर हेतु मॉग तथा वसूली पंजी का संधारण नहीं</u>**

मकान कर (होल्डिंग कर) शहरी स्थानीय निकाय का मुख्य आय का स्रोत है । जिसके लिए माँग तथा वसूली पंजी का संधारण होना नितांत आवश्यक है । जिससे यह पता चल सके कि किन व्यक्तियों के पास कितना गृहकर बकाया है । किन–किन व्यक्तियों से वसूली माँग के अनुसार की जा रही है, आदि ।

नगर परिषद, औरंगाबाद के द्वारा होल्डिंग कर संबंधित मॉग तथा वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया । पंजी के संधारण नहीं होने से राजस्व की क्षति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । नगर परिषद के वार्षिक लेखा एवं रोकड़ बही के अनुसार 2012–13 एवं 2013–14 में कुल ₹ 2272531.00 की वसूली की गई थी विवरण निम्न है :–

1152

| क0 सं0 | 2012–13 में वसूली गई राशि | 2013–14 में वसूली गई राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 1362355 | 910176 | पिछले वर्ष 12–13 से 33 प्रतिशत कम वसूली । |

**लेखापरीक्षा टिप्पणी**

1. मॉंग तथा वसूली पंजी का संधारण नहीं होने के कारण गृहकर वसूली प्रतिशत कम हो रहा था ।
2. होल्डिंग टैक्स में कितना बकाया था और कितने की वसूली की गई थी इसकी विवरणी तैयार कर उपलब्ध नहीं कराया गया था ।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि तहसीलदार के स्टेटयुटरी फार्म में मॉग एवं संग्रह पंजी का अवलोकन कराया गया ।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि होल्डिंग के वसूली के कम होने एवं होल्डिंग के बकाया और वसूली की विवरणी उपलब्ध नहीं कराने संबंधित जवाब नहीं दिया गया अतः इसका स्पष्टीकरण अगले अंकेक्षण में दिया जाय ।

**कंडिका 2. लेखा का संधारण**

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 86 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका के आय–व्यय संबंधी लेखा तैयार करेगा ।

नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए तैयार की गयी आय–व्यय से संबंधित लेखा लेखापरीक्षा में जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है ।

उक्त अधिनियम की धारा 88 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करेगा जिसमें नगरपालिका लेखा के मुद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियॉ एवं अदायगी अंर्तविष्ट होगी ।

अधिनियम की धारा 89 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी वर्ष की समाप्ति से चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की अस्तिवों एवं दायित्वों से संबंधी तुलना–पत्र तैयार कराएगा ।

अधिनियम की उक्त धाराओं के अन्तर्गत संधारित वित्तीय विवरण एवं तुलना–पत्र जो कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

(15)

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि – वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के आय–व्यय बजट अवलोकनार्थ लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दिया गया है ।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि 2012–13 एवं 2013–14 के वित्तीय विवरण एवं अस्तियों एवं दायित्वों से संबंधी तुलना पत्र के वारे में जवाब नहीं दिया गया था । अतः वित्तीय विवरण एवं अस्तियों एवं दायित्वों से संबंधी तुलन पत्र तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए ।

**सामान्य अभ्युक्ति**

नगर परिषद, औरंगाबाद की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी ऋण पंजी/ सम्पति पंजी, आग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसुली हेतु प्रयास किए जाए, वार्षिक लेखे, बजट इत्यादि का संधारण नहीं किया जा रहा था। नगर परिषद्, औरंगाबाद प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए। नगर परिषद् प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सूचनात्मक बनाने हेतू विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

–हस्ता0–<br>
**(राजेश कुमार)**<br>
**स0ले0प0अ0**<br>
अनुमोदित<br>
उपमहालेखाकार<br>
––सह––<br>
स्थानीय लेखापरीक्षक<br>
बिहार, पटना

60 150

नगर परिषद औरंगाबाद
परिशिष्ट I
लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख

1. Cash Book
2. P/L Cash Book
3. H Receipts, Misc. Receipts & other Receipts.
4. scheme file (Partly)
5. Proceeding Register
6. stock Register
7. Service file
8. Purchase file (Partly)
9. Budget Estimate.

AAO

नगर परिषद् औरंगाबाद

परिशिष्ट II

लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख

1. Advance Register
2. Property Register
3. Log Book of vehicles
4. Service Book and Personal files
5. Holding Tax (DCR)
6. Assets and Liability Balance sheets
7. Settlement files
8. Loan Appro. Register
9. Law A/C / Suit Register
10. Deposit Register
11. Investment Register
12. Leave A/C
13. Assessment Register
14. Remission A/C
15. Rent Register
16. DCR (Holding, water, Latrine, Lighting)
17. Fixed Demand Register

AAO

L148

# लेखापरीक्षा परिणाम
## परिशिष्ट–III

| क्र0सं0 | कंडिका सं0 | आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि | वसूली हेतु सुझाई गई राशि | लेखापरीक्षा अवधि में वसूली गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1(भाग– II(ख)) | 409350.00 | – | – |
| 2 | 2(i) | | | 28898.00 |
| 3 | 3(i) | | 433785.00 | |
| 4 | 4 | | 660000.00 | |
| 5 | 5 | | 30725.00 | |
| 6 | 6 | | 58877.00 | |
| 7 | 7 | 596178.00 | | |
| | | **1005528.00** | **1183387.00** | **28898.00** |